उपखण्ड अधिकारी
करोद (कोटपूतली-बहरोड)

03/7/25 आज यह पत्रावली पेश हुयी। प्रतिवादी द्वारा वादपत्र
बकुलाव उप० । प्रतिवादी द्वारा के आधार
को ... रिपोर्ट पत्र के आधार
पर डिक्री करन बाबत रजामन्द दी
गयी। इस अनुसार का लिया गया। प्रार्थना
मा अध्ययन किया। प्रार्थना पत्रावली का
अध्ययन किया गया। वादी का वाद-पत्र
साक्ष्य के आधार पर वाद-पत्र को
डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय
अलग से लिखा जाकर शामिल किया
गया। पत्रावली फाइल शुमार हो मय वहक
रेस मन हो। वाद ... अधिकारी द।

उपखण्ड अधिकारी
करोद (कोटपूतली-बहरोड)

उ०खण्ड अधिकारी ... डिक्री ... आदेश ...
03/07/25

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीना–II (आर.ए.एस)

मुक्दमा नम्बर :– 93/2025
दायर दिनांक :– 17.05.2025
आदेश दिनांक :– 03/7/2025

उनवान

1. चेतन दत्तक पुत्र रामसिंह जाति अहीर निवासी झारोडा तहसील बहरोड़।
2. शारदा पत्नि रामसिंह जाति अहीर निवासी झारोडा तहसील बहरोड़।
3. केषव पुत्र योगेष जाति अहीर निवासी झारोडा तहसील बहरोड़।

..........वादीगण

बनाम

1. धनश्याम पुत्र औमप्रकाश जाति अहीर निवासी झारोडा तहसील बहरोड।
2. सुभाष चन्द यादव पुत्र औमप्रकाश जाति अहीर निवासी झारोडा तहसील बहरोड।
3. पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र औमप्रकाश जाति अहीर निवासी झारोडा तहसील बहरोड।
4. अनिता यादव पुत्री औमप्रकाश जाति अहीर निवासी झारोडा तहसील बहरोड।
5. पवित्रा पुत्री औमप्रकाश जाति अहीर निवासी झारोडा तहसील बहरोड।
6. कमला देवी पत्नि औमप्रकाश जाति अहीर निवासी झारोडा तहसील बहरोड।
7. ऋषि यादव पुत्र नरेन्द्र सिंह जाति अहीर निवासी ढाणी दौचाना तहसील बुहाना।
8. स्वाती पुत्री नरेन्द्र सिंह जाति अहीर निवासी ढाणी दौचाना तहसील बुहाना।
9. अनिल कुमार पुत्र बाबूलाल जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड।
10. कृष्णा देवी पत्नि बाबूलाल जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड़।
11. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बहरोड।

.... प्रतिवादीगण

<u>दावा तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी</u>

उपस्थित :–

1. श्री विरेन्द्र सिंह यादव अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री दिनेश कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 01 लगायत 8
3. श्री योगेन्द्र कुमार यादव एवं नीरज सैनी अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 09 व 10

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते आदेश पेश की गई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित है। पत्रावली के सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि उक्त वाद को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर मौके पर तहसीलदार बहरोड से विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर प्रापत किये गये। किसी भी पक्षकार ने कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ती नही की गई है। अतः विवादित आराजी को मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट निम्न प्रकार से तकसीम किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

—: आदेश :—

अतः वाद पत्र अंतिम रूप से निम्न प्रकार से तकसीम किया जाता है :—

1. आराजी खसरा 158 रकबा 0.56 में केशव पुत्र योगेश हिस्सा 1/2, चेतन दत्तक पुत्र रामसिंह हिस्सा 1/4 ,शारदा पत्नि रामसिंह हिस्सा 1/4 कौम अहीर सा. देह खातेदार रहेगे।
2. आराजी खसरा नम्बर 159 रकबा 0.60 , आराजी खसरा नम्बर 162 रकबा 0.49 में कृष्णादेवी पत्नि बाबूलाल हिस्सा 1/2, अनिल कुमार पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/2, कौम अहीर सा. हमींदपुर खातेदार रहेगा।
3. आराजी खसरा नम्बर 160 रकबा 0.54 हैक्टेयर में कमला देवी पत्नि ओमप्रकाश हिस्सा 1/7, अनिता यादव पुत्री ओमप्रकाश हिस्सा 1/7 ,धनश्याम पुत्र ओमप्रकाश हिस्सा 1/7, पवित्रा यादव पुत्री ओमप्रकाश हिस्सा 1/7,पुष्पेन्द्र कुमार यादव पुत्र ओमप्रकाश हि0 1/7 सुभाष चन्द यादव पुत्र ओमप्रकाश हिस्सा 1/7 सा0दे0, ऋषि यादव पुत्र नरेन्द्र सिंह हिस्सा 1/14 ,स्वाती पुत्री नरेन्द्र सिंह हिस्सा 1/14 कौम अहीर सा. ढाणी दोचाना तहसील बुहाना झुन्झुनू खातेदार रहेगा। इसी कदर राजस्व भू—अभिलेख को संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुर्रेजात रिपोर्ट इस डिक्री का भार रहेगा। पर्चा डिकी जारी हो।

आज दिनांक 03/7/2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(रामकिशोर मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली—बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीना–II (आर.ए.एस)

मुक्दमा नम्बर :– 93/2025
दायर दिनांक :– 17.05.2025
आदेश दिनांक :– 03/7/2025

उनवान

1. चेतन दत्तक पुत्र रामसिंह जाति अहीर निवासी झारोडा तहसील बहरोड़।
2. शारदा पत्नि रामसिंह जाति अहीर निवासी झारोडा तहसील बहरोड़।
3. केषव पुत्र योगेष जाति अहीर निवासी झारोडा तहसील बहरोड़।

..........वादीगण

बनाम

1. धनश्याम पुत्र औमप्रकाश जाति अहीर निवासी झारोडा तहसील बहरोड।
2. सुभाष चन्द यादव पुत्र औमप्रकाश जाति अहीर निवासी झारोडा तहसील बहरोड।
3. पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र औमप्रकाश जाति अहीर निवासी झारोडा तहसील बहरोड।
4. अनिता यादव पुत्र औमप्रकाश जाति अहीर निवासी झारोडा तहसील बहरोड।
5. पवित्रा पुत्री औमप्रकाश जाति अहीर निवासी झारोडा तहसील बहरोड।
6. कमला देवी पत्नि औमप्रकाश जाति अहीर निवासी झारोडा तहसील बहरोड।
7. ऋषि यादव पुत्र नरेन्द्र सिंह जाति अहीर निवासी ढाणी दौचाना तहसील बुहाना।
8. स्वाती पुत्री नरेन्द्र सिंह जाति अहीर निवासी ढाणी दौचाना तहसील बुहाना।
9. अनिल कुमार पुत्र बाबूलाल जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड़।
10. कृष्णा देवी पत्नि बाबूलाल जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड़।
11. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बहरोड।

.... प्रतिवादीगण

<u>दावा तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी</u>

उपस्थित :–

1. श्री विरेन्द्र सिंह यादव अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री दिनेष कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 01 लगायत 8
3. श्री योगेन्द्र कुमार यादव एवं नीरज सैनी अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 09 व 10

–: पर्चा डिक्री :–

अतः वाद पत्र अंतिम रूप से निम्न प्रकार से तकसीम किया जाता है :–

1. आराजी खसरा 158 रकबा 0.56 में केशव पुत्र योगेश हिस्सा 1/2, चेतन दत्तक पुत्र रामसिंह हिस्सा 1/4 ,शारदा पत्नि रामसिंह हिस्सा 1/4 कौम अहीर सा. देह खातेदार रहेगे।
2. आराजी खसरा नम्बर 159 रकबा 0.60 , आराजी खसरा नम्बर 162 रकबा 0.49 में कृष्णादेवी पत्नि बाबूलाल हिस्सा 1/2, अनिल कुमार पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/2, कौम अहीर सा. हमींदपुर खातेदार रहेगा।
   आराजी खसरा नम्बर 160 रकबा 0.54 हैक्टेयर में कमला देवी पत्नि ओमप्रकाश हिस्सा 1/7, अनिता यादव पुत्री ओमप्रकाश हिस्सा 1/7 ,धनश्याम पुत्र ओमप्रकाश हिस्सा 1/7, पवित्रा यादव पुत्री ओमप्रकाश हिस्सा 1/7,पुष्पेन्द्र कुमार यादव पुत्र ओमप्रकाश हि0 1/7 सुभाष चन्द यादव पुत्र ओमप्रकाश हिस्सा 1/7 सा0दे0, ऋषि यादव पुत्र नरेन्द्र सिंह हिस्सा 1/14 ,स्वाती पुत्री नरेन्द्र सिंह हिस्सा 1/14 कौम अहीर सा. ढाणी दोचाना तहसील बुहाना झुन्झुनू खातेदार रहेगा। इसी कदर राजस्व भू–अभिलेख को संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुर्रेजात रिपोर्ट इस डिक्री का भार रहेगा।

आज दिनांक 03.07.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया।

(रामकिशोर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीना–II (आर.ए.एस)

मुकदमा नम्बर :– 93 / 2025
दायर दिनांक :– 17.05.2025
प्रारभिक निर्णय दिनांक :– 23.06.2025

उनवान

1. चेतन पुत्र रामसिंह जाति अहीर निवासी झारोडा तहसील बहरोड़।
2. शारदा पत्नि रामसिंह जाति अहीर निवासी झारोडा तहसील बहरोड़।
3. केशव पुत्र योगेश जाति अहीर निवासी झारोडा तहसील बहरोड़।

..........वादी

बनाम

1. धनश्याम पुत्र औमप्रकाश जाति अहीर निवासी झारोडा तहसील बहरोड।
2. सुभाष चन्द यादव पुत्र औमप्रकाश जाति अहीर निवासी झारोडा तहसील बहरोड।
3. पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र औमप्रकाश जाति अहीर निवासी झारोडा तहसील बहरोड।
4. अनिता यादव पुत्र औमप्रकाश जाति अहीर निवासी झारोडा तहसील बहरोड।
5. पवित्रा पुत्री औमप्रकाश जाति अहीर निवासी झारोडा तहसील बहरोड।
6. कमला देवी पत्नि औमप्रकाश जाति अहीर निवासी झारोडा तहसील बहरोड।
7. ऋषि यादव पुत्र नरेन्द्र सिंह जाति अहीर निवासी ढाणी दौचाना तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू
8. स्वाती पुत्री नरेन्द्र सिंह जाति अहीर निवासी ढाणी दौचाना तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू
9. अनिल कुमार पुत्र बाबूलाल जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड़।
10. कृष्णा देवी पत्नि बाबूलाल जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड़।
11. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बहरोड जिला अलवर राज.। .... **प्रतिवादीगण**

दावा तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थित :–

1. श्री विरेन्द्र सिंह यादव अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री दिनेश कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 01 लगायत 8 की ओर से।
3. श्री हुक्मसिंह यादव अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 09 व 10 की और से।

–:प्रारभिक निर्णय :–

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते आदेश पेश की गई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित है। पत्रावली के सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 ग्राम झारोड़ा तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान के रहने वाले है व प्रतिवादी संख्या 7 व 8 ढाणी दौचाना तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राजस्थान के रहने वाले है व प्रतिवादी संख्या 9 व 10 ग्राम हमींदपुर तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान के रहने वाले है। आराजी खसरा नम्बर 158 रक्बा 0.56, 159 रक्बा 0. 60, 160 रक्बा 0.54, 162 रक्बा 0.49 वाकै ग्राम झारोड़ा तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली – बहरोड़ राजस्थान में स्थित है जो आराजी इस वाद पत्र में आराजी मुतनाजा से प्रदर्शित की जावेगी। आराजी मुतनाजा वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 10 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जो आराजी मुतनाजा में वादीगण संख्या 1 व 2 का प्रत्येक का 1/16 हिस्सा है व वादी संख्या 3 का 1/8 हिस्सा है व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 का प्रत्येक का 1/28 हिस्सा है व प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का प्रत्येक का 1/56 हिस्सा है व प्रतिवादी संख्या 9 व 10 का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा है। जो आराजी मुतनाजा पक्षकारान के दरमियान बिना बटी हुई आराजी है जिसे पक्षकारान मौके पर बाहमी तौर पर अपने अपने हक व हिस्से की आराजी पर काबिज रह कर शामलात में काश्त करते चले आ रहे है व मौके पर काबिज है। हम पक्षकारान आराजी मुतनाजा को अभी तक बाहमी तौर पर मौके पर अपने अपने हक व हिस्से के मुताबिक काबिज रह कर शामलात में काश्त करते चले आ रहे है परन्तु अब प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 के मन में बेईमानी आ गई जो आराजी मुतनाजा को बिना विधिवत तकसीम करवाये आराजी मुतनाजा के विशेष पोर्सन पर जबरन कब्जा कर उसकी शक्ल सूरत तब्दील करने व उसे दीगर

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

जगह बेचान करने पर आमादा है। ऐसी सूरत में अब आराजी मुतनाजा को उन्नत कृषि करने के लिये शामलात में काश्त किया जाना सम्भव नहीं है। जिस सूरत में वादीगण कुल आराजी मुतनाजा में अपने हक व हिस्से की आराजी को तकसीम करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 बहुत ही चालाक किश्म के व्यक्ति है जो आराजी मुतनाजा को बिना विधिवत तकसीम करवाये आराजी मुतनाजा के विशेष पोर्सन पर जबरन कब्जा कर उसकी शक्ल सूरत तब्दील करने व उसे दीगर जगह बेचान करने पर आमादा है जो कि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। चूंकि आराजी मुतनाजा पक्षकारान के दरमियान बिना बटी हुई आराजी है परन्तु प्रतिवादीगण 1 लगायत 10 आराजी मुतनाजा को बिना विधिवत तकसीम करवाये दीगर जगह बेचान करने पर आमादा है। जिस सूरत में प्रतिवादीगण को हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबंद किया जाना न्याय संगत है कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 10 आराजी मुतनाजा को बिना विधिवत तकसीम करवाये दीगर जगह रहन, बय, हिबा आदि प्रकार से खुर्द, बुर्द व मुन्तकिल नहीं करें व ना ही आराजी मुतनाजा की शक्ल सूरत ही तब्दील करें व ना ही आराजी मुतनाजा में कोई किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण कार्य ही करें व ना ही आराजी मुतनाजा में वादीगण के हक व हिस्से की आराजी में कब्जे काश्त फसल बोने, काटने व हर सूरत में उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें। बाज आवें। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि दावा बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाये जाने की कृपा करें कि डिक्री तकसीम आराजी इस आशय की सादिर फरमाई जावें कि आराजी खसरा नम्बर 158 रक्बा 0.56, 159 रक्बा 0.60, 160 रक्बा 0.54, 162 रक्बा 0.49 वाके ग्राम झारोडा तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान में स्थित है जो आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 10 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो आराजी मुतनाजा में वादीगण संख्या 1 व 2 का प्रत्येक का 1/16 हिस्सा है व वादी संख्या 3 का 1/8 हिस्सा है व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 का प्रत्येक का 1/28 हिस्सा है व प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का प्रत्येक का 1/56 हिस्सा है व प्रतिवादी संख्या 9 व 10 का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा है। जो आराजी मुतनाजा पक्षकारान के दरमियान बिना बटी हुई आराजी है जिसे पक्षकारान मौके पर बाहमी तौर पर अपने अपने हक व हिस्से की आराजी पर काबिज रह कर शामलात में काश्त करते चले आ रहे है व मौके पर काबिज है। जिस सूरत में आराजी मुतनाजा को बाहमी बटवारा के अनुसार पक्षकारान के दरमियान की तकसीम की जाकर तकसीम की अन्तिक डिक्री इसी प्रकार से पारित की जावें व पृथक से खाताबन्दी की जाकर कुर्रेजात कायमत किये जावें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीदीगणो को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 08 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर अंकित किया है कि दावा इस हद तक स्वीकार है कि आराजी खसरा नम्बर 158 रकबा 0.56 है0, 159 रकबा 0.60 है0, 160 रकबा 0.54 है0 162 रकबा 0.49 है० वाके ग्राम झारोडा में स्थित है जो आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगा० 10 की कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी है जो आराजी मुतनाजा में वादी सं01 व 2 का प्रत्येक का 1/16 हिस्सा है व वादी सं० 3 का 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण सं० 7 व 8 का प्रत्येक का 1/56 हिस्सा है एवं प्रतिवादी सं० 9 व 10 का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा है जो हम पक्षकारान के मध्य बिना बटी आराजी होने के कारण बाहमी तौर पर बटवारे में आने से अपने अपने हिस्से पर कब्जे काश्त है इसी कदर काश्त करते चले आ रहे है। और इसी प्रकार हमारा आपस मे बटवाकर कर पृथक से नम्बर कायम करते हुये डिकी इस प्रकार फरमाई जावे कि खसरा नम्बर 158 वादीगण के हिस्से मे तथा खसरा नम्बर 159, 162 प्रतिवादी सं० 9 व 10 के हिस्से मे तथा खसरा नम्बर 160 प्रतिवादी सं० 1 लगा० 8 के हिस्से में दर्ज किया जाकर तितम्बा काटा जाकर नये नम्बर कायम का पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने की कृपा करे। प्रतिवादी संख्या 09 व 10 ने जवाब दावा में अंकित किया है कि वाद पत्र सही व सत्य है। वाद पत्र में वर्णित आराजी पर हम सभी सहखातेदारान अपने अपने हिस्से पर काबिज रहकर शामलात में काश्त करते आ रहे है जो आराजी बिना बटी हुई आराजी है। वाद पत्र में केवल इतना सही है कि बाद पत्र में वर्णित आराजी बाहमी तौर पर मौके पर अपने अपने हक व हिस्से के मुताबिक काबिज रहकर शामलात में काश्त करते चले आ रहे है। मौके के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 158 पर वादीगण काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। आराजी खसरा नम्बर 159, 162 पर प्रतिवादी सं० 9 लगा० 9 काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। आराजी ख० न० 160 पर प्रति० सं० 1 लगा० 8

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

का काश्त करते आ रहे इसी अनुसार हम वादी व प्रतिवादीगण मौके पर काबिज रहकर कायत करते आ रहे है। इसी अनुसार कुर्रजात रिपोर्ट कायम कर तकसमा किया जावें। हम प्रतिवादी सं० 9 व 10 को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। शेष कथन गलत है। अगर उक्त आराजी को तकसीम कर कुर्रजात कायम किये जाते है जो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

हमारे द्वारा वकुलाय की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अध्ययन किया व पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया। वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी को मौके पर तकसीम किये जाने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया है। वाद पत्र में वादी एवं प्रतिवादीगण की सह खातेदारी की अविभाजित आराजी है। वादी नियमानुसार अपने हिस्से को तकसीम करवाने के अधिकारी है। वाद पत्र में प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 08 के द्वारा अपने जवाब दावा के आधार पर एवं प्रतिवादी संख्या 09. 10 ने वाद पत्र को प्राथमिक रूप से डिक्री किये जाने बाबत अपनी सहमति दी गई। है। वाद पत्र को वादी एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर विवादीत आराजी को पक्षकारान के मध्य नियमानुसार तकसीम किया जाना उचित समझते है।

–: प्रारभिक निर्णय :–

अतः वाद पत्र प्रारभिक रूप से डिक्री किया जाकर प्राथमिक डिकी इस आशय की जारी की जाती है कि आराजी खसरा नम्बर 158 रक्बा 0.56, 159 रक्बा 0.60, 160 रक्बा 0.54, 162 रक्बा 0.49 वाकै ग्राम झारोड़ा तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड़ को नियमानुसार तकसीम करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बहरोड़ को निर्देश प्रदान किये जाते है कि वह सह खातेदारो के हिस्सा अनुसार आराजी को तकसीम कर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करे तथा राजस्थान टिनेंसी नियमो के नियम 18 से 21 की पालना करते हुऐ मौके पर जाकर विवादित आराजी का कुर्रे कायम कर विभाजन प्रस्ताव न्यायालय हाजा में आगामी दिनांक 30.6.2025 से पूर्व प्रस्तुत करे। तहसीलदार बहरोड को पालना हेतु आदेश जारी हो। इसी कदर प्राथमिक डिकी जारी करे।

आज दिनांक 23.06.2025 को यह प्रारभिक निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(रामकिशोर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीना–II (आर.ए.एस)

मुक्दमा नम्बर :– 93 / 2025
दायर दिनांक :– 17.05.2025
प्रारभिक निर्णय दिनांक :– 23.06.2025

उनवान

1. चेतन पुत्र रामसिंह जाति अहीर निवासी झारोडा तहसील बहरोड़।
2. शारदा पत्नि रामसिंह जाति अहीर निवासी झारोडा तहसील बहरोड़।
3. केशव पुत्र योगेश जाति अहीर निवासी झारोडा तहसील बहरोड़।

..........वादी

बनाम

1. धनश्याम पुत्र औमप्रकाश जाति अहीर निवासी झारोडा तहसील बहरोड।
2. सुभाष वन्द यादव पुत्र औमप्रकाश जाति अहीर निवासी झारोडा तहसील बहरोड।
3. पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र औमप्रकाश जाति अहीर निवासी झारोडा तहसील बहरोड।
4. अनिता यादव पुत्र औमप्रकाश जाति अहीर निवासी झारोडा तहसील बहरोड।
5. पवित्रा पुत्री औमप्रकाश जाति अहीर निवासी झारोडा तहसील बहरोड।
6. कमला देवी पत्नि औमप्रकाश जाति अहीर निवासी झारोडा तहसील बहरोड।
7. ऋषि यादव पुत्र नरेन्द्र सिंह जाति अहीर निवासी ढाणी दौचाना तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू
8. स्वाती पुत्री नरेन्द्र सिंह जाति अहीर निवासी ढाणी दौचाना तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू
9. अनिल कुमार पुत्र बाबूलाल जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड़।
10. कृष्णा देवी पत्नि बाबूलाल जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड़।
11. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बहरोड जिला अलवर राज.। .... **प्रतिवादीगण**

<u>दावा तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी</u>

उपस्थित :–

1. श्री विरेन्द्र सिंह यादव अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री दिनेश कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 01 लगायत 8 की ओर से।
3. श्री हुक्मसिंह यादव अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 09 व 10 की और से।

–:प्रारभिक पर्चा डिक्री :–

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते आदेश पेश की गई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित है। वाद पत्र प्रारभिक रूप से डिक्री किया जाकर प्राथमिक डिकी इस आशय की जारी की जाती है कि आराजी खसरा नम्बर 158 रक्बा 0.56, 159 रक्बा 0.60, 160 रक्बा 0.54, 162 रक्बा 0.49 वाकै ग्राम झारोड़ा तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड़ को नियमानुसार तकसीम करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बहरोड को निर्देश प्रदान किये जाते है कि वह सह खातेदारो के हिस्सा अनुसार आराजी को तकसीम कर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करे तथा राजस्थान टिनेंसी नियमो के नियम 18 से 21 की पालना करते हुऐ मौके पर जाकर विवादित आराजी का कुर्रे कायम कर विभाजन प्रस्ताव न्यायालय हाजा में आगामी दिनांक 30.6.2025 से पूर्व प्रस्तुत करे। तहसीलदार बहरोड को पालना हेतु आदेश जारी हो।

आज दिनांक 23.06.2025 को यह प्रारभिक पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया।

(रामकिशोर मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड)